114th Business Meeting held on 24-06-2010 (13 extension Cases)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1497] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 21, 2010/आषाढ़ 30, 1932

No. 1497] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 21, 2010/ASADHA 30, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2010

का.आ. 1785(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 23 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 1794(अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने श्रीमती शारदा झटकिया मेमोरियल ट्रस्ट, 17-स्टेशन प्लॉट ओल्ड सीमेंट रोड, गोंडाल-360 311 (गुजरात) द्वारा "सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु आवर्ती खर्च" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 6 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 3 वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती शारदा झटकिया मेमोरियल ट्रस्ट, 17-स्टेशन प्लॉट, ओल्ड सीमेंट रोड, गोंडाल-360 311 (गुजरात) द्वारा चलाई जा रही "सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु आवर्ती खर्च" की परियोजना या स्कीम की एक करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 2.58 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों अर्थात् 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[फा. सं. 58/2010/फा. सं. वी-27015/2/2010-एस ओ (नेट.कॉम)]

नवीन चन्द्र, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

2847 GI/2010

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2010

S.O. 1785(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1794(E) dated 23rd October, 2007, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 6, recurring expenses for Community Health Centre by Smt. Sharda Jhatakia Memorial Trust, 17-Station Plot, Old Cement Road, GONDAL – 360 311 (Gujarat), as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2007-08;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project "recurring expenses for Community Health Centre", is being carried out by Smt. Sharda Jhatakia Memorial Trust, 17-Station Plot, Old Cement Road, GONDAL – 360 311 (Gujarat), without any change in the approved cost of Rs. 2.58 crore including a corpus fund of Rs. 1.00 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three financial years commencing with 2010-11 i.e 2010-11, 2011-12 & 2012-13.

[F. No. 58/2010/F. No. V-27015/2/2010-SO (NAT.COM)]

NAVEEN CHANDRA, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2010

का.आ. 1786(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के तहत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 2 फरवरी,1996 की अधिसूचना सं0सां0आ0 92 (अ0) द्वारा केन्द्र सरकार ने करूणा ट्रस्ट, 22, गौतम नगर, नारनपुर रेलवे क्रोसिंग के पास, अहमदाबाद 13 द्वारा "सम्पूर्ण गुजरात में ऑखों के ऑप्रेशन करने, पोलियो ऑप्रेशन केम्प्स, ऑक्सीजन सिलिण्डर सेवा और एम्बुलैंस सेवा" को निर्धारण वर्ष 1996-1997 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 5 पर अधिसूचित किया गया था; जिसे आगे दिनांक 16 जनवरी,1998 की अधिसूचना सं0सां0आ0 57 (अ0) द्वारा निर्धारण वर्ष 1999-2000 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए तक बढाया गया था; जिसे आगे दिनांक 20 जून,2001 की अधिसूचना सं0सां0आ0 539 (अ0) द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया था; और जिसे आगे दिनांक 2 फरवरी,2005 की अधिसूचना सं0सां0आ0 143 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया गया था; जिसे आगे दिनांक 4 जून,2008 की अधिसूचना सं0सां0आ0 1307 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-2008 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया गया था;

और जबकि दिनांक 20 जून,2001 की अधिसूचना सं0 सां0आ0 539 (अ0) द्वारा अनुमानित लागत को 94.00 लाख रूपये से बढ़ाकर 128.00 लाख रूपये किया गया था और दिनांक 4 जून, 2008 की अधिसूचना सं0 सां0आ0 1307 (अ0) द्वारा अनुमानित लागत को 128.00 लाख रूपये से बढ़ाकर 153.00 लाख रूपये कर दिया

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 15 वर्ष से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करूणा ट्रस्ट, 22, गौतम नगर, नारनपुर रेलवे क्रोसिंग के पास, अहमदाबाद 13- द्वारा "सम्पूर्ण गुजरात में आँखों के ऑप्रेशन करने, पोलियो ऑप्रेशन केम्प्स, ऑक्सीजन सिलिण्डर सेवा और एम्बुलैंस सेवा" की परियोजना या स्कीम की 153 लाख रूपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों, अर्थात 2010-11, 2011-12 एवं 2012 -13, के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[फा. सं. 59/2010/फा. सं. वी-27015/2/2010-एस ओ (नेट.कॉम)]

नवीन चन्द्र, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2010

S.O. 1786(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.92(E) dated the 2nd February, 1996, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 5, "Conduct eye operation, polio operation camps, oxygen cylinder seva and ambulance service all over Gujarat" by Karuna Trust, 22, Gautam Nagar, Near Naranpura-Railway Crossing, Ahmedabad-13, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1996-1997, which was extended further vide notification number S.O.57(E) dated the 16th January, 1998 for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000 which was extended further vide notification number S.O.539(E) dated the 20th June, 2001 for a period of three years beginning with assessment year 2002-2003, which was extended further vide notification number S.O.143(E) dated the 2nd February, 2005 for a period of three years beginning with financial year 2004-2005 and which was extended further vide notification number S.O.1307(E) dated 4th June, 2008 for a period of three years beginning with financial year 2007-08;

And whereas by notification number S.O.539(E) dated the 20th June, 2001 the estimated cost was enhanced from Rs. 94.00 lakh to Rs.128.00 lakh and vide notification number S.O.1307(E) dated 4th June, 2008 the estimated cost was enhanced further from Rs. 128.00 lakh to 153.00 lakh;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond fifteen years;

And, whereas, the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),- (a) hereby notifies the scheme or project "Conduct eye operation, polio operation camps, oxygen cylinder seva and ambulance service all over Gujarat", which is being carried out by Karuna Trust, 22, Gautam Nagar, Near Naranpura-Railway Crossing, Ahmedabad-13, without any change in the approved cost of Rs.153.00 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2010-11 i.e 2010-11, 2011-12 & 2012-13.

[F. No. 59/2010/F. No. V-27015/2/2010-SO (NAT.COM)]

NAVEEN CHANDRA, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2010

का.आ. 1787(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के तहत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 17 जून,2008 की अधिसूचना सं0सां0आ0 1462 (अ0) द्वारा केन्द्र सरकार ने इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन, हरे कृष्णा लैंड, जुहु, मुम्बई 400 049 द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए दोपहर के भोजन की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से दो वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 10 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 2 वर्ष से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्वि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन, हरे कृष्णा लैंड, जुहू, मुम्बई 400 049 द्वारा चलाई जा रही उत्तर प्रदेश के लिए दोपहर के भोजन परियोजना की परियोजना या स्कीम की 712.65 लाख रूपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों अर्थात 2010-11, 2011-12 एवं 2012 -13 के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[फा. सं. 60/2010/फा. सं. वी–27015/2/2010–एस ओ (नेट.कॉम)]

नवीन चन्द्र, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2010

S.O. 1787(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1462(E) dated 17th June, 2008, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 10, Mid day meal project for Uttar Pradesh by Iskcon Food Relief Foundation, Hare Krishna Land, Juhu, Mumbai 400 049, as an eligible project or scheme for a period of two years beginning with financial year 2008-09;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond two years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three year;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project "Mid day meal project for Uttar Pradesh", is being carried out by Iskcon Food Relief Foundation, Hare Krishna Land, Juhu, Mumbai 400 049, without any change in the approved cost of Rs. 712.65 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three financial years commencing with 2010-11 i.e 2010-11, 2011-12 & 2012-13.

[F. No. 60/2010/F. No. V-27015/2/2010-SO (NAT.COM)]

NAVEEN CHANDRA, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2010

का.आ. 1788(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के तहत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 17 जून,2008 की अधिसूचना सं0सां0आ0 1462 (अ0) द्वारा केन्द्र सरकार ने इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन, हरे कृष्णा लैंड, जूहु, मुम्बई 400 049 द्वारा जिला फरीदाबाद, हरियाणा हेतु दोपहर के भोजन की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 8 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 2 वर्ष से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्वि के लिए राष्ट्रीय समितिं का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन, हरे कृष्णा लैंड, जूहु, मुम्बई 400 049 द्वारा चलाई जा रही जिला फरीदाबाद, हरियाणा हेतु दोपहर के भोजन की परियोजना या स्कीम की 853.90 लाख रूपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों, अर्थात 2010-11, 2011-12 एवं 2012 -13 के लिए, एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[फा. सं. 61/2010/फा. सं. वी–27015/2/2010–एस ओ (नेट.कॉम)]

नवीन चन्द्र, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2010

S.O. 1788(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1462(E) dated 17th June, 2008, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 8, Mid day meal project for district Faridabad, Haryana by Iskcon Food Relief Foundation, Hare Krishna Land, Juhu, Mumbai 400 049, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2008-09;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond two years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of one year;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project "Mid day meal project for district Faridabad, Haryana", is being carried out by Iskcon Food Relief Foundation, Hare Krishna Land, Juhu, Mumbai 400 049, without any change in the approved cost of Rs. 853.90 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three financial years commencing with 2010-11 i.e 2010-11, 2011-12 & 2012-13.

[F. No. 61/2010/F. No. V-27015/2/2010-SO (NAT.COM)]

NAVEEN CHANDRA, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2010

का.आ. 1789(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप धारा (1) के तहत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 16 मार्च,1994 की अधिसूचना सं0सां0आ0 224 (अ0) द्वारा केन्द्र सरकार ने द मेमोरियल फंड फॉर डिज़ास्टर रिलीफ इंडिया, मार्फत द दिल्ली चेशायर होम, ओखला रोड, नई दिल्ली द्वारा वर्ल्ड मेमोरियल फंड, टी.बी. प्रोजेक्ट हेतु सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, सूरत और दिल्ली में चार चलती-फिरती टीमों की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1994-1995 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से दो वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 3 पर अधिसूचित किया गया था; जिसे आगे दिनांक 14 अप्रैल,1995 की अधिसूचना सं0सां0आ0 297 (अ0) द्वारा निर्धारण वर्ष 1996-1997 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया था; जिसे आगे दिनांक 29 दिसम्बर,1997 की अधिसूचना सं0सां0आ0 916 (अ0) द्वारा निर्धारण वर्ष 1999-2000 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया था; और जिसे आगे दिनांक 20 जून,2001 की अधिसूचना सं0सां0आ0 566 (अ0) द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों के लिए बढ़ाया गया था; जिसे आगे दिनांक 22 फरवरी,2005 की अधिसूचना सं0सां0आ0 132 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया गया; और जिसे आगे दिनांक 29.3.2007 की अधिसूचना सं0सां0आ0 487 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-2008 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया गया;

और जबकि दिनांक 20 जून,2001 की अधिसूचना सं0 सां0आं0 566 (अ0) द्वारा अनुमानित लागत को 40,41,600 रूपये से बढ़ाकर 338.19 लाख रूपये किया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 17 वर्ष से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए द मेमोरियल फंड फॉर डिज़ास्टर रिलीफ इंडिया, मार्फत द दिल्ली चेशायर होम, ओखला रोड, नई दिल्ली द्वारा चलाई जा रही वर्ल्ड मेमोरियल फंड टी.बी. प्रोजेक्ट हेतु सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, सूरत और दिल्ली में चार चलती फिरती टीमों की परियोजना या स्कीम की 338.19 लाख रूपये की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों, अर्थात 2010-11, 2011-12 एवं 2012 -13, के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[फा. सं. 62/2010/फा. सं. वी-27015/2/2010-एस ओ (नेट.कॉम)]

नवीन चन्द्र, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2010

S.O. 1789(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.224(E) dated the 16th March, 1994, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 3, for World Memorial Fund T.B. Project-Four mobile teams at Sikkim, Himachal Pradesh, Surat and Delhi by The Memorial Fund for Disaster Relief India, C/o The Delhi Cheshire Home, Okhla road, New Delhi, as an eligible project or scheme for a period of two years beginning with assessment year 1994-1995 which was extended further vide notification number S.O.297(E) dated the 14th April, 1995 for a period of three years beginning with assessment year 1996-1997 which was extended further vide notification number S.O.916(E) dated the 29th December, 1997 for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000 which was extended further vide notification number S.O.566(E) dated the 20th June, 2001 for a period of three years beginning with assessment year 2002-2003 which was extended further vide notification number S.O.132(E) dated the 22nd February, 2005 for a period of three year beginning with financial year 2004-2005 and which was extended further vide notification number S.O. 487(E) dated 29.3.2007 for a period of three years beginning with financial year 2007-08;

And whereas by notification number S.O.566(E) dated the 20th June, 2001 the estimated cost was enhanced from Rs.40,41,600 to Rs.338.19 lakhs;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond seventeen years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for World Memorial Fund T.B. Project-Four mobile teams at Sikkim, Himachal Pradesh, Surat and Delhi which is being carried out by The Memorial Fund for Disaster Relief India, C/o The Delhi Cheshire Home, Okhla road, New Delhi, without any change in the approved cost of Rs. 338.19 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2010-11 i.e 2010-11, 2011-12 & 2012-13.

[F. No. 62/2010/F. No. V-27015/2/2010-SO (NAT.COM)]

NAVEEN CHANDRA, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2010

का.आ. 1790(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के तहत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 16 जुलाई ,2007 की अधिसूचना सं0सां0आ0 1145 (अ0) द्वारा केन्द्र सरकार ने स्वास्थ्य प्रतिष्ठान एवं अनुसंधान केन्द्र, रलियाती, डाहोड, गुजरात- 389151 द्वारा "अतिरिक्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा के उन्नयन एवं प्रावधान तथा मुफ्त वार्ड सहित मुफ्त सुविधा" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 1 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्दि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य प्रतिष्ठान एवं अनुसंधान केन्द्र, रलियाती, डाहोड, गुजरात- 389151 द्वारा चलाई जा रही "अतिरिक्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा के उन्नयन एवं प्रावधान तथा मुफ्त वार्ड सहित मुफ्त सुविधा" की परियोजना या स्कीम की 7.87 करोड़ रूपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों अर्थात 2010-11, 2011-12 एवं 2012 -13 के लिए, एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. 63/2010/फा. सं. वी-27015/2/2010-एस ओ (नेट.कॉम)]

नवीन चन्द्र, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2010

S.O. 1790(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1145(E) dated 16th July, 2007, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 1, Up-gradation and provision of additional health care facility and free ward plus free facility by Health foundation & Research Centre, Raliyati, Dahod, Gujarat – 389151, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2007-08;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project "Up-gradation and provision of additional health care facility and free ward plus free facility", is being carried out by Health foundation & Research Centre, Raliyati, Dahod, Gujarat – 389151, without any change in the approved cost of Rs. 7.87 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three financial years commencing with 2010-11 i.e 2010-11, 2011-12 & 2012-13.

[F. No. 63/2010/F. No. V-27015/2/2010-SO (NAT.COM)]

NAVEEN CHANDRA, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2010

का.आ. 1791(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप धारा (1) के तहत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 8 अगस्त,1995 की अधिसूचना सं0सां0आ0 713 (अ0) द्वारा केन्द्र सरकार ने श्री रामकृष्ण सेवाआश्रम, "राधा लक्ष्मी निवास" के.आर.एक्सटेंशन, पावगड, तुम्कुर, कर्नाटक - 561202 द्वारा "पावगुडा तालुक, तुम्कुर, कर्नाटक में कुष्ठ और टी.बी. रोग के उन्मूलन हेतु 30 बिस्तरों वाले स्वामी विवेकानंद एकीकृत ग्रामीण केन्द्र के निर्माण, स्थापना और चलाने" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1996-1997 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 2 पर अधिसूचित किया था; जिसे आगे दिनांक 11 फरवरी,1999 की अधिसूचना सं0सां0आ0 99 (अ0) द्वारा निर्धारण वर्ष 1999-2000 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया था; जिसे आगे दिनांक 12 दिसम्बर,2001 की अधिसूचना सं0सां0आ0 1217 (अ0) द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया था; और जिसे आगे दिनांक 23 मार्च,2005 की अधिसूचना सं0सां0आ0 386 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष के लिए बढ़ाया गया था; और जिसे आगे दिनांक 20 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं0सां0आ0 496 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-2008 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 15 वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्वि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रामकृष्ण सेवाआश्रम, "राधा लक्ष्मी निवास" के.आर.एक्सटेंशन, पावगड, तुम्कुर, कर्नाटक - 561202 द्वारा चलाई जा रही "पावगुडा तालुक, तुम्कुर, कर्नाटक में कुष्ठ और टी.बी. रोग के उन्मूलन हेतु 30 बिस्तरों वाले स्वामी विवेकानंद एकीकृत ग्रामीण केन्द्र के निर्माण, स्थापना और चलाने" की परियोजना या स्कीम की 2.92 करोड़ रूपये की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों, अर्थात 2010-11, 2011-12 एवं 2012 -13, के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[फा. सं. 64/2010/फा. सं. बी-27015/2/2010-एस ओ (नेट.कॉम)]

नवीन चन्द्र, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

2847GI/10-2

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2010

S.O. 1791(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.713(E) dated the 8th August, 1995, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 2, for Construction, establishment and running of 30 bed Swami Vivekananda Integrated Rural Centre for elimination of leprosy and T.B. at Pavaguda Taluk, Tumkur, Karnataka by Sri Ramakrishna Sevashram, "Radha Lakshmi Nivas", K.R. Extension, Pavagada, Tumkur, Karnataka-561202, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1996-1997 which was extended further vide notification number S.O.99(E) dated the 11th February, 1999 for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000 which was extended further vide notification number S.O.1217(E) dated the 12th December, 2001 for a period of three years beginning with assessment year 2002-2003 and which was extended further vide notification number S.O.386(E) dated the 23rd March, 2005 for a period of three years beginning with financial year 2004-2005 and which was extended further vide notification number S.O. 496(E) dated 20th March, 2007 for a period of three years beginning with financial year 2007-08;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond fifteen years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - (a) hereby specifies the scheme or project for Construction, establishment and running of 30 bed Swami Vivekananda Integrated Rural Centre for elimination of leprosy and T.B. at Pavaguda Taluk, Tumkur, Karnataka, which is being carried out by Sri Ramakrishna Sevashram, "Radha Lakshmi Nivas", K.R. Extension, Pavagada, Tumkur, Karnataka-561202, without any change in the approved cost of Rs. 2.92 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2010-11 i.e 2010-11, 2011-12, 2012-13.

[F. No. 64/2010/F. No. V-27015/2/2010-SO (NAT.COM)]

NAVEEN CHANDRA, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2010

का.आ. 1792(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपखंड (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 24 जनवरी,2005 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 81 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने चाइल्डलाइन इंडिया फाउन्डेशन द्वारा चाइल्ड लाइन इंडिया फाउन्डेशन , दूसरा तल नानाचौक म्यूनुसिपल स्कूल , फरेरे ब्रिज लोवर लेवल, ग्रांट रोड स्टेशन मुम्बई के पास , मुम्बई -400007 की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 4 पर अधिसूचित किया था, जिसे बाद में दिनांक 16 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1159 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-2008 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छः वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ङ के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चाइल्डलाइन इंडिया फाउन्डेशन द्वारा चाइल्ड लाइन इंडिया फाउन्डेशन , दूसरा तल नानाचौक म्यूनुसिपल स्कूल , फरेरे ब्रिज लोवर लेवल, ग्रांट रोड स्टेशन मुम्बई के पास, मुम्बई - 400007 की परियोजना अथवा स्कीम को 2.66 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि, अर्थात 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[फा. सं. 65/2010/फा. सं. बी-27015/2/2010-एस ओ (नेट.कॉम)]

नवीन चन्द्र, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2010

S.O. 1792(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.81(E) dated the 24th January, 2005, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 4, for Childline India Foundation by Childline India Foundation, 2nd Floor, Nanachowk Municipal School, Frere Bridge Low Level, Near Grant Road Station, Mumbai-400 007, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2004-2005 and which was extended further vide notification number 1159(E) dated 16th July, 2007 for a period of three years beginning with financial year 2007-08;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years ;

Now, therefore, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Childline India Foundation, which is being carried out by Childline India Foundation, 2nd Floor, Nanachowk Minicipal School, Frere Bridge Low Level, Near Grant Road Station, Mumbai-400 007, without any change in the approved cost of Rs. 2.66 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2010-11 i.e. 2010-11, 2011-12 & 2012-13.

[F. No. 65/2010/F. No. V-27015/2/2010-SO (NAT.COM)]

NAVEEN CHANDRA, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2010

का.आ. 1793(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 23 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1794 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने डीसिज्ड भावसार देवचंदभाई मुलजीभाई तलाजिया और डीसिज्ड कामलक्ष्मी देवचंदभाई तलाजिया , प्लाट सं0 1945, कामकाजी महिला होस्टल के समीप , सरदारनगर सर्किल, भावनगर -364002 द्वारा " अंकुर " मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2007-2008 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 4 पर विनिर्दिष्ट किया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि हेतु विनिर्दिष्ट करने के लिए तथा परियोजना लागत को 160 लाख रूपये की कार्पस निधि सहित 120 लाख रूपये से बढ़ाकर 175 लाख रूपये तक बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डीसिज्ड भावसार देवचंदभाई मुलजीभाई तलाजिया और डीसिज्ड कामलक्ष्मी देवचंदभाई तलाजिया , प्लाट सं0 1945, कामकाजी महिला होस्टल के समीप , सरदारनगर सर्किल, भावनगर -364002 द्वारा " अंकुर " मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय की परियोजना अथवा स्कीम को एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से अगले तीन वर्षों अर्थात 2010-11,2011-12 और 2012-13 के लिए अधिसूचित करती है ।

(ख) दिनांक 23 अक्तूबर , 2007 की अधिसूचना सं0 1794(अ0) में निम्नलिखित सीमा तक संशोधन करती है, नामत:

उक्त अधिसूचना के क्रम सं0 2 के सामने की सारणी में कॉलम (4), जो धारा 35 क ग के अंतर्गत अनुमत्य लागत की अधिकतम कटौती की राशि से संबंधित है, में "120 लाख रुपए" अक्षर, शब्द और आंकड़ों के स्थान पर "175 लाख रुपये 160 लाख रूपये की कार्पस निधि सहित " शब्द, आंकड़ें और अक्षर प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

[फा. सं. 66/2010/फा. सं. वी-27015/2/2010-एस ओ (नेट.कॉम)]

नवीन चन्द्र, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2010

S.O. 1793(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1794(E) dated 23rd October, 2007, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 4, "ANKUR" Special School for Mentally Retarded Children run by Deceased Bhavsar Devchandbhai Muljibhai Talajiya & Deceased Khamalaxmi Devchandbhai Talajiya, Plot No.1945, Near Working Womens Hostel, Sardarnagar Circle, Bhavnagar – 364 002, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2007-08;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and enhancing the project cost from Rs. 120 lakh to Rs. 175 lakh including a corpus fund of Rs. 160 lakh.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - (a) hereby specifies the scheme or project for "ANKUR" Special School for Mentally Retarded Children, which is being carried out by Deceased Bhavsar Devchandbhai Muljibhai Talajiya & Deceased Khamalaxmi Devchandbhai Talajiya, Plot No.1945, Near Working Womens Hostel, Sardarnagar Circle, Bhavnagar – 364 002, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial years 2010-11 e.i. 2010-11, 2011-12 & 2012-13;

(b) further amends the said notification number S.O. 1794(E) dated the 23rd October, 2007, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 2, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and word "Rs. 120 lakh", the letters, figures and word "Rs. 175 lakh including a corpus fund of Rs. 160 lakh" shall be substituted.

[F. No. 66/2010/F. No. V-27015/2/2010-SO (NAT.COM)]

NAVEEN CHANDRA, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2010

का.आ. 1794(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के **स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी** की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की **दिनांक 26 मई, 1995 की अधिसूचना** सं0 सां0 आ0 471 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ईश्वर आई इंस्टीट्यूट , एन.-132, पंचशील पार्क , नई दिल्ली-110017 द्वारा उत्तरप्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के पड़ोसी ग्रामों के ग्रामीण क्षेत्रों में आऊटरीच कार्यक्रम के विस्तार की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1996-1997 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 13 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिसे बाद में दिनांक 18 सितम्बर , 1998 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 837 (अ0) द्वारा निर्धारण वर्ष 1999-2000 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 20 सितम्बर , 2001 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 904 (अ0) द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था तथा जिसे बाद में दिनांक 15 नवम्बर, , 2005 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1602 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 16 जुलाई , 2007 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1162 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-2008 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 22 मार्च , की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 650 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-2011 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम की परियोजना लागत को 208.97 लाख रूपये से बढ़ाकर 729.55 लाख रूपयें तक बढ़ाने के लिए उक्त परियोजना या स्कीम को विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ईश्वर आई इंस्टीट्यूट , एन -132, पंचशील पार्क , नई दिल्ली-110017 द्वारा चलाई जा रही उत्तरप्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के पड़ोसी ग्रामों के ग्रामीण क्षेत्रों में आऊटरीच कार्यक्रम के विस्तार हेतु परियोजना अथवा स्कीम को एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।
(ख) दिनांक 26 मई , 1995 की अधिसूचना सां0 आ0 सं0 471(अ0) में निम्नलिखित सीमा तक संशोधन करती है नामत:

उक्त अधिसूचना के क्रम सं0 13 के सामने की सारणी के कॉलम (2), जो परियोजना शीर्ष के शब्दों ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आऊटरीच कार्यक्रम के विस्तार के बदले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आऊट रीच कार्यक्रम विस्तार , अस्पताल भवन का विस्तार ,चिकित्सा उपकरणों की खरीद को में प्रतिस्थापित किया जाएगा और कालम 4 में जो धारा 35 क ग के अंतर्गत अनुमत्य लागत की अधिकतम कटौती की राशि से संबंधित है, में "208.97 लाख रुपए" अक्षर, शब्द और आंकड़ों के स्थान पर "729.55 लाख रुपये" शब्द, आंकड़ें और अक्षर प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

[फा. सं. 67/2010/फा. सं. वी-27015/2/2010-एस ओ (नेट.कॉम)]

नवीन चन्द्र, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2010

S.O. 1794(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.471(E) dated the 26th May, 1995, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 13, for Expansion of Outreach programmes for rural areas at neighbouring villages of Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan by Ishwar Eye Institute, N-132, Panchshila Park, New Delhi-110017, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1996-1997 which was extended further vide notification number S.O.837(E) dated the 18th September, 1998 for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000, which was extended further vide notification number S.O.904(E) dated the 20th September, 2001, for a period of three years beginning with assessment year 2002-2003, which was extended further vide notification number S.O.1602(E) dated the 15th November, 2005, for a period of two years beginning with financial year 2005-2006 which was extended further vide notification number S.O. 1162(E) dated 16th July, 2007 for further three years commencing from F.Y. 2007-08 and which was extended further vide notification number S.O.650(E) dated 22nd March, for further three years commencing from F.Y. 2010-11;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for enhancing the project cost from Rs. 208.97 lakh to Rs.729.55 lakh;

Now, therefore, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Expansion of Outreach programmes for rural areas at neighbouring villages of Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan, which is being carried out by Ishwar Eye Institute, N-132, Panchshila Park, New Delhi-110017,
(b) further amends the said notification number S.O.471(E) dated the 26th May, 1995, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 13, in column (2) relating to the title of project words expansion of outreach programme for rural areas; the words expansion of outreach programme for rural areas, expansion of hospital building, purchase of medical equipments shall be substituted and in colomn (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and word "Rs. 208.97 lakh", the letters, figures and word "Rs. 729.55 lakh" shall be substituted.

[F. No. 67/2010/F. No. V-27015/2/2010-SO (NAT.COM)]
NAVEEN CHANDRA, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2010

का.आ. 1795(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 7 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1501 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्री मुनिकुल ब्रहमचर्य आश्रम वेद संस्थान बारूनदानी, राजस्थान द्वारा श्रीमती लाड देवी शर्मा संस्कृत महाविद्यालय की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2007-2008 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 9 पर अधिसूचित किया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने

आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मुनिकुल ब्रहमचर्य आश्रम वेद संस्थान बारूनदानी, राजस्थान द्वारा चलाइ जा रही श्रीमती लाड देवी शर्मा संस्कृत महाविद्यालय की परियोजना अथवा स्कीम को 2.36 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि, अर्थात 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[फा. सं. 68/2010/फा. सं. वी-27015/2/2010-एस ओ (नेट.कॉम)]

नवीन चन्द्र, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2010

S.O. 1795(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1501(E) dated 7th September, 2007, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 9, Smt. Lad Devi Sharma Sanskrit Mahavidyalaya by Shree Munikul Brahmcharya Ashram Ved Sansthan Barundani, Rajasthan, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2007-08;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project "Smt. Lad Devi Sharma Sanskrit Mahavidyalaya", is being carried out by Shree Munikul Brahmcharya Ashram Ved Sansthan Barundani, Rajasthan, without any change in the approved cost of Rs. 2.36 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three financial years commencing with 2010-11 i.e 2010-11, 2011-12 & 2012-13.

[F. No. 68/2010/F. No. V-27015/2/2010-SO (NAT.COM)]

NAVEEN CHANDRA, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2010

का.आ. 1796(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 जनवरी , 2009 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 121 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने प्रगुण जिन्दल एजुकेशनल आर्गेनाइजेशन चिकाबिदकल्ला विलेज , तालुका नेलमंगला , दशनपुरा होबली , जिला बंगलोर -560073 द्वारा जिन्दल प्री यूनिर्वसिटी कालेज को जिन्दल रूरल कालेज के रूप में विस्तार की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2008--2009 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 19 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम की परियोजना लागत को 14 करोड़ रूपये से बढ़ाकर अर्थात 11 करोड़ रूपये अनावर्ती व्यय , 8 करोड़ रूपये आवर्ती व्यय एवं 10 करोड़ रूपये की कार्पस निधि सहित 29 करोड रूपये तक बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रगुण जिन्दल एजुकेशनल आर्गेनाइजेशन चिकाबिदकल्ला विलेज , तालुका नेलमंगला , दशनपुरा होबली , जिला बंगलोर -560073 द्वारा जिन्दल प्री यूनिर्वसिटी कालेज को जिन्दल रूरल कालेज के रूप में विस्तार की परियोजना अथवा स्कीम को अधिसूचित करती है।

(ख) दिनांक 12 जनवरी, 2009 की अधिसूचना सं0 121(अ0) में निम्नलिखित सीमा तक संशोधन करती है नामतः -

उक्त अधिसूचना के क्रम सं0 19 के सामने की सारणी में कॉलम (4), जो धारा 35 क ग के अंतर्गत अनुमत्य लागत की अधिकतम कटौती की राशि से संबंधित है, में "14 करोड़ रुपए" अक्षर, शब्द और आंकड़ों के स्थान पर " 10 करोड़ रूपये की कार्पस निधि सहित 29 करोड़ रूपये अर्थात 11 करोड़ रूपये अनावर्ती व्यय, 8 करोड़ रूपये आवर्ती व्यय हेतु एवं 10 करोड़ रूपये कार्पस निधि " शब्द, आंकड़ें और अक्षर प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

[फा. सं. 69/2010/फा. सं. वी-27015/2/2010-एस ओ (नेट.कॉम)]

नवीन चन्द्र, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2010

S.O. 1796(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 121(E) dated 12th January, 2009, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 19, Expansion of Jindal Pre University College to Jindal Rural college by Pragun Jindal Educational Organisation, Chikabidarakallu village, Taluka Nelmangala, Dasanpura Hobli, District Bangalore-560073, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2008-09;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for enhancing the project cost from Rs. 14.00 crore to Rs. 29.00 crore including corpus fund of Rs. 10 crore i.e Rs. 11 crore for non-recurring expense, Rs. 8 crore for recurring expense and Rs. 10 crore as corpus fund;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project "Expansion of Jindal Pre University College to Jindal Rural college", is being carried out by Pragun Jindal Educational Organisation, Chikabidarakallu village, Taluka Nelmangala, Dasanpura Hobli, District Bangalore-
(b) further amends the said notification number S.O.121(E) dated the 12th January, 2009, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 19, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and word "Rs. 14.00 crore", the letters, figures and word "Rs. 29.00 crore including corpus fund of Rs. 10 crore i.e Rs. 11 crore for non-recurring expense, Rs. 8 crore for recurring expense and Rs. 10 crore as corpus fund" shall be substituted.

[F. No. 69/2010/F. No. V-27015/2/2010-SO (NAT.COM)]

NAVEEN CHANDRA, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2010

का.आ. 1797(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपखंड (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 18 सितम्बर , 1995 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 791 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने गुजरात सरवर मंडल , कमरा सं0 15, पहला तल, हिमवन, समाज कल्याण केन्द्र शांति कुंज सोसायटी , प्रीतामरी मार्ग, पलडी के समीप, अहमदाबाद -6 द्वारा अहमदाबाद गुजरात के गरीब और निराश्रित मरीजों के लिए मुफ्त चिकित्सा सहायता की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1996-1997 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 1 पर अधिसूचित किया था, जिसे बाद में दिनांक 11 अगस्त , 1998 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 686 (अ0) द्वारा निर्धारण वर्ष 1999-2000 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 20 जून, 2001 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 561 (अ0) द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 5 जुलाई , 2004 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0796 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 16-7 -2007 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1152 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-2008 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि दिनांक 5 जुलाई , 2000 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0630 (अ0) द्वारा अनुमानित लागत को 12.00 लाख रूपये से बढ़ाकर 36.00 लाख रूपये कर दिया गया था, और जिसे बाद में दिनांक 5 जुलाई , 2004 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0796 (अ0) द्वारा अनुमानित लागत को 36.00 लाख रूपये से बढ़ाकर 72.00 लाख रूपये कर दिया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के पन्द्रह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुजरात सरवर मंडल , कमरा सं0 15, पहला तल, हिमवन, समाज कल्याण केन्द्र शांति कुंज सोसायटी , प्रीतामरी मार्ग, पलडी के समीप, अहमदाबाद -6 द्वारा चलाई जा रही अहमदाबाद गुजरात के गरीब और निराश्रित मरीजों के लिए मुफ्त चिकित्सा सहायता की परियोजना अथवा स्कीम को 72.00 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि, अर्थात 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[फा. सं. 70/2010/फा. सं. वी-27015/2/2010-एस ओ (नेट.कॉम)]

नवीन चन्द्र, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2010

S.O. 1797(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.791(E) dated the 18th September, 1995, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 1, for free medical aid to poor and destitute patients at Ahmedabad Gujarat by Gujarat Sarvar Mandal, Room No.15, Ist Floor, Himavan, Samaj Kalyan Kendra, Shanti Kunj Society, Pritamari Marg, Near Paldi, Ahmedabad-6 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1996--1997 which was extended further vide notification number S.O.686(E) dated the 11th August, 1998 for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000 which was extended further vide notification number S.O.561(E) dated the 20th June, 2001 for a period of three years beginning with assessment year 2002-2003 which was extended further vide notification number S.O.796(E) dated the 5th July, 2004 for a period of three years beginning with financial year 2004-2005 and which was extended further vide notification number S.O.1152(E) dated 16.7.2007 for a period of three years beginning with financial year 2007-08;

And whereas vide notification number S.O.630(E) dated the 5th July, 2000 the estimated cost was enhanced from Rs.12.00 lakhs to Rs.36.00 lakhs and vide notification number S.O.796(E) dated the 5th July, 2004 the estimated cost was enhanced from Rs.36.00 lakhs to Rs.72.00 lakhs ;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond fifteen years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for free medical aid to poor and destitute patients at Ahmedabad Gujarat which is being carried out by Gujarat Sarvar Mandal, Room No.15, Ist Floor, Himavan, Samaj Kalyan Kendra, Shanti Kunj Society, Pritamari Marg, Near Paldi, Ahmedabad-6, without any change in the approved cost of Rs. 72.00 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial years 2010-11 i.e 2010-11, 2011-12 & 2012-13.

[F. No. 70/2010/F. No. V-27015/2/2010-SO (NAT.COM)]

NAVEEN CHANDRA, Director (National Committee)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.